



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/ग्रुप-8/वी.सी/2020

जयपुर, दिनांक :- 24/02/2021

वीडियो कॉन्फ्रेंस-कार्यक्रम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
समस्त, (राजस्थान)।


विषय – दिनांक 25.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2021 के अनुसार दिनांक 25.02.2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रस्तावित वीडियो कॉन्फ्रेंस का निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	योजना	समय	विशेष विवरण
1.	महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा	प्रातः 10.30 से 11.30 बजे तक	आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
2.	जल-ग्रहण विकास योजना समीक्षा	प्रातः 11.30 से 12.00 बजे तक	आयुक्त, जल-ग्रहण विकास
3.	ग्रामीण विकास योजनाएँ समीक्षा	दोपहर 12.00 से 1.00 बजे तक	शासन सचिव एवं विभाग अधिकारी
4.	राजीविका समीक्षा	दोपहर 1.00 से 1.30 बजे तक	स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका
5.	सामाजिक अंकेक्षण	दोपहर 1.30 से 1.45 बजे तक	निदेशक (एसएसएएटी)
6.	पंचायती राज योजना समीक्षा	दोपहर 2.30 से 4.00 बजे तक	शासन सचिव एवं आयुक्त तथा विभागीय अधिकारी
7.	स्वच्छ भारत मिशन	मध्यान्ह 4.00 से 5.00 बजे तक	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
8.	अन्य	सायं 5.00 से 6.00 बजे तक	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश

भवदीय



(कै.के. शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण।
- 6 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ।
- 7 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
- 8 जिला कलक्टर समस्त।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
- 10 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस में योजनाओं की अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेने हेतु :-

- 1 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
- 2 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
- 3 उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
- 4 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
- 5 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 6 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
- 8 संयुक्त सचिव (आयोजना), पंचायतीराज।
- 9 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
- 10 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायतीराज।
- 11 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
- 12 अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 13 सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायतीराज।
- 14 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 11 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि/आहरण वितरण अधिकारी, पंचायतीराज को सभागार एवं जल-पान आदि की व्यवस्था हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)